न्यायालय : अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–1,
जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

फौजदारी निगरानी संख्या : 10/2023 (39/2023)

एन.सी.वी. नं. : 42/2023

बाबूलाल मीणा पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय मीणा, निवासी–ग्राम बिलोद, तहसील–जमवारामगढ़, जिला–जयपुर।

––निगरानीकार

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।
2– राजेन्द्र प्रसाद मीणा पुत्र नामालूम, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला–जयपुर।
3– कैलाश चंद मीणा पुत्र नामालूम, तत्कालीन गिरदावर तहसीलदार, तहसील–जमवारामगढ़, जिला–जयपुर।
4– लक्कीराज मीणा पुत्र नामालूम, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का बिलोद, तहसील–जमवारामगढ़, जिला–जयपुर।
5– रामकुंवार पुत्र श्री प्रभात
6– धन्ना राम पुत्र श्री प्रभात
7– रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री भगवानसहाय,
8– गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री धन्नाराम
समस्त निवासी–ग्राम पोस्ट बिलोद, तहसील–जमवारामगढ़, जिला–जयपुर।

––गैरनिगरानीकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ, जिला जयपुर, परिवाद संख्या 08/2023 बउनवान बाबूलाल मीणा बनाम राजेन्द्र प्रसाद व अन्य अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 166, 120–बी भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति:

1 – सर्वश्री जितेन्द्र कुमार पारीक, कानाराम शर्मा–अधिवक्तागण निगरानीकार की ओर से।

2 – अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास– अधिवक्ता गैर निगरानीकारान संख्या–2 लगायत 4 की ओर से।
4– श्री कान्ता प्रसाद शर्मा–अधिवक्ता गैरनिगरानीकारान सं. 5 लगायत 8 की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांकः 27 जुलाई, 2026**

1. निगरानीकार द्वारा यह निगरानी विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2023 से व्यथित होकर, माननीय सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर के यहां पेश की गयी जो सुनवाई हेतु कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2. प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक निगरानीकार बाबूलाल मीणा द्वारा एक परिवाद विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि परिवादी के पिता भगवाना पुत्र भौरया के द्वारा अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी खातेदारी कृषि भूमि, खसरा संख्या 658, रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा, स्थित ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में से रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 30.09.1998 को विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कुल विक्रय मूल्य 1,50,000/– में अभियुक्त संख्या 4 रामकुंवार, अभियुक्त संख्या 6 के पिता स्वर्गीय भगवान सहाय तथा अभियुक्त संख्या 5 धन्ना पुत्र प्रभात, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर के पक्ष में विक्रय कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेखों में विक्रित भूमि का पृथक नामांतरण खोलकर खसरा संख्या 658/764 अंकित किया गया तथा विधिवत अमलदराज भी कर दिया गया। वर्तमान में भी जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक उक्त विक्रित भूमि का पृथक लगान निर्धारित करते हुए अलग खतौनी एवं जमाबंदी कायम है। हाल ही में परिवादी द्वारा राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उसके स्वर्गीय पिता द्वारा केवल 03 बीघा 10 बिस्वा

अर्थात 0.89 हेक्टेयर भूमि का ही विक्रय किया गया था, जबकि अभियुक्त संख्या 3 हल्का पटवारी लक्कीराज मीणा एवं अभियुक्त संख्या 2 हल्का गिरदावर कैलाश चन्द मीणा ने अभियुक्त संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के साथ आपराधिक षड़यंत्र एवं मिलीभगत कर तथा उनसे अनुचित लाभ प्राप्त कर खसरा संख्या 658/764 की तरमीम में अनधिकृत रूप से क्षेत्रफल 0.89 हेक्टेयर के स्थान पर 0.97 हेक्टेयर अंकित कर दिया। उक्त अतिरिक्त 0.08 हेक्टेयर भूमि पर अभियुक्तगण का कोई वैधानिक अधिकार या स्वामित्व नहीं है। परिवादी ने इस स्पष्ट त्रुटि को सुधारने हेतु अनेक बार अभियुक्त संख्या 1 तहसीलदार, अभियुक्त संख्या 2 गिरदावर तथा अभियुक्त संख्या 3 पटवारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर निवेदन किया परन्तु अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने तरमीम सुधारने के नाम पर परिवादी से 20,000/– रिश्वत के रूप में प्राप्त किए, किन्तु इसके बावजूद आज तक राजस्व अभिलेखों में त्रुटि का संशोधन नहीं किया गया। अभियुक्त संख्या 1 से 3 ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा अभियुक्त संख्या 4 से 7 के साथ साजिश एवं मिलीभगत कर जानबूझकर राजस्व अभिलेखों में गलत तरमीम अंकित की, जिससे परिवादी की भूमि का क्षेत्रफल अवैध रूप से कम प्रदर्शित हुआ तथा अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया.....आदि। उक्त परिवाद में बहस सुनी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस थाना रायसर, जिला जयपुर न भेजकर परिवाद को जांच हेतु धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में रख लिया। जिस आदेश से व्यथित होकर निगरानीकार ने उक्त निगरानी पेश की।

3. निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी का आधार यह लिया गया कि, अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अभियुक्तगण संख्या 4 लगायत 7 से आपस में साज, मिलीभगत तथा षड़यंत्र करके, अनुचित प्रलोभन प्राप्त कर, परिवादी/निगरानीकार की आराजी खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर गलत रूप से एन्ट्री कर दी तथा निगरानीकार द्वारा बार–बार निवेदन करने तथा प्रार्थना पत्र देने के पश्चात् भी उक्त इन्द्राज को दुरूस्त नहीं

किया तथा राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की है जो कि सरकारी मुलाजिम द्वारा अपने पद का भ्रष्ट व गैर कानूनी रूप से दुरूपयोग कर, अपराध कारित किया है। अभियुक्तगण संख्या–1 व 2 द्वारा किसी तथाकथित समझौता पत्र के आधार पर उक्त तरमीम किया जाना स्वीकार किया गया है जबकि ऐसा कोई समझौता पत्र न तो राजस्व रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, न ही परिवादी व उसके स्व. पिता द्वारा निष्पादित किया गया है। अपराध का घटित होना बखूबी रूप से साबित व प्रमाणित था। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2023 में प्रकरण का उनवान विजेन्द्र बनाम ओम सिंह वगैरा अंकित कर रखा है जबकि उनवान बाबूलाल मीणा बनाम राजेन्द्र प्रसाद मीणा टंकित होना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश में यह अंकित किया गया है कि परिवादी के द्वारा थाना हाजा पर प्रस्तुत होकर या अन्य किसी तरह से परिवाद पेश नहीं किया है जबकि निगरानीकार ने विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश करने से पहले धारा 154(1) दंड प्रक्रिया संहिता व 154(3) दंड प्रक्रिया संहिता की कम्पलाईंस पूर्ण की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14.07.2023 विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखों व विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आधारों पर निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाकर विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस निगरानी सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश अपास्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु सम्बन्धित पुलिस थाना को प्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

5. विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकारान ने संयुक्त रूप से उक्त तर्को का विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व तथ्यों के आधार पर होने के आधार पर निगरानी खारिज किए जाने की प्रार्थना

की तथा कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की कोई विधि व तथ्यों की त्रुटि कारित नहीं की हैं और गैरनिगरानीकारान के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।

6. तर्कों पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 14.07.2023 एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया।

7. निगरानी याचिका को निस्तारित करते समय न्यायालय को मुख्य रूप से यह विचार करना है कि ''क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश में कोई अवैधानिकता है अथवा उसका निष्कर्ष दूषित है या पत्रावली में आई साक्ष्य के आधार पर गलत निष्कर्ष पारित किया गया है?''

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि परिवादी/निगरानीकार बाबूलाल की ओर से एक परिवाद पत्र गैरनिगरानीकार/अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद मीणा व अन्य के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 166, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध बाबत विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और उसे धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित थाना रायसर भेजे जाने की प्रार्थना की जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी और रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.07.2023 द्वारा परिवाद को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भिजवाया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए उसे धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में जांच किया जाना आवश्यक मानकर साक्ष्य परिवादी में नियत किया गया जिस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

9. इस संबंध में यदि धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद को संबंधित थाने में भेजे जाने या धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं के पास जांच हेतु रखने के विवेक के संबंध में विधिक

स्थिति का अवलोकन किया जाएँ तो धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में शब्द "May" का प्रयोग किया है जो मजिस्ट्रेट को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पत्र संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु भेजे जाने के संबंध में विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। इस संबंध मे विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (1) एआईआर 2014 (एससी) ललिता कुमारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, पेज 187 का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना पेश होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना आज्ञापक है परन्तु यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी के समक्ष सूचना पेश होने पर रिपोर्ट दर्ज करना आज्ञापक कहा है लेकिन न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2014 (4) सी.सी.सी. पुष्परतन बनाम राजस्थान राज्य पेज 66 में स्पष्ट कहा है कि मजिस्ट्रेट के पास यह विकल्प है कि वह धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मामला अनुसंधान के लिए भेजे अथवा परिवाद के कथनों को अभिलिखित करते हुए धारा 200, 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करे और यदि मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार में दूसरा विकल्प चुना है तो वह आदेश विधिविरूद्ध व गलत नहीं हो जाता है।

10. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में मजिस्ट्रेट के पास यह विकल्प है कि वह धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मामला अनुसंधान के लिए भेजे अथवा परिवादी के अभिकथनों को अभिलिखित करते हुए धारा 200, 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वयं जांच करें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह विधिक स्थिति सामने आती है कि न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत होने पर उसे अन्वेषण के लिए धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित थाने को भेजा जाना या धारा 200, 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वयं द्वारा जांच करना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है एवं न्यायालय के विवेक को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण

में भी विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर परिवाद पत्र को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच का विकल्प चुना है। अतः मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार मे हस्तक्षेप करने का कोई उचित, पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण उपलब्ध नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में तथ्यों व विधि की त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः निगरानीकार/परिवादी बाबूलाल मीणा की ओर से प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाकर, खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 14.07.2023 की पुष्टि की जाती है।

12. आदेश की सत्य प्रति विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,जमवारामगढ़, जयपुर जिला, जयपुर को अविलम्ब प्रेषित हो।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर

13. आदेश आज दिनांक 27 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास कालेर)
अति0 सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला, जयपुर